

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

संख्या-12/विविध-5009/16-सा0प्र0-~~11487~~<sup>11449</sup>/भारत के महामहिम राष्ट्रपति का नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर (नालन्दा) में दिनांक 27.8.2016 को निर्धारित परिदर्शन कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु विभागीय आदेश सं0 11265 दिनांक 19.8.2016 के द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0 क0-560/11 उप सचिव (अपर समाहर्ता स्तर में उत्कर्मित) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को की गयी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके स्थान पर श्री धनंजय ठाकुर, बि0प्र0से0, को0 क0- 222/11, गृह जिला-मुंगेर विशेष कार्य पदाधिकारी (अपर समाहर्ता स्तर) समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 25.8.2016 से 28.8.2016 तक समाहरणालय, नालन्दा में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

पटना-15, दिनांक 23.8.16

2. श्री ठाकुर दिनांक 25.08.2016 को निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी, नालन्दा के समक्ष अपना योगदान समर्पित कर उनसे प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्य संपादित करेंगे । प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर अपने वर्तमान पदस्थापनवाले पद पर योगदान करेंगे ।

(विजय मोहन नागपटनी)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-5009/16-सा0प्र0-11449/पटना, दिनांक- 23-8-16  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव